भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 884
जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2026 को दिया जाना है ।
15 माघ, 1947 (शक)

बिहार में सामान्य सेवा केंद्र

884. श्री तारिक अनवरः

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आंकड़ों के अनुसार बिहार में ग्रामीण और शहरी ब्रॉडबैंड पहुंच की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें सुधार लाने के लिए भारतनेट परियोजना के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है;

(ख) डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार में चल रहे सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) किस हद तक प्रभावी हैं और क्या वे सभी निर्धारित डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं;

(ग) बिहार में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता और नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय कम्प्यूटर आपात दल (सीईआरटी-इन) के माध्यम से क्या विशेष उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या मेक इन इंडिया और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण अथवा आईटी/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन या रूपरेखा तैयार की गई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क): देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है।

दिसंबर, 2025 तक; देश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 2,14,904 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है। बिहार में भारतनेट के अंतर्गत कुल 8,340 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है।

इसके अलावा, भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को अनुमोदित किया गया है।

(ख): नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित किए जाते हैं। इन केंद्रों का संचालन ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) द्वारा किया जाता है।

दिसंबर 2025 तक, बिहार में 57,793 सीएससी कार्यरत हैं। इसके अलावा, सीएससी का राज्यवार विवरण वेबसाइट https://csc.gov.in/ पर उपलब्ध है। इन सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सेवाओं की सूची https://csc.gov.in/ पर उपलब्ध है।

(ग): सरकार ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित उपयोग के लिए बिहार सहित नागरिकों की साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए विभिन्न पहलें की हैं जिनमें अन्य विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

- भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के उपबंधों के अंतर्गत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- सीईआरटी -इन कंप्यूटर, मोबाइल फोन, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/कमजोरियों और उनसे निपटने के उपायों के संबंध में निरंतर अलर्ट और सलाह जारी करता है।
- सीईआरटी-इन फ़िशिंग वेबसाइटों को ट्रैक एवं अक्षम करने और धोखाधड़ी गतिविधियों की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाताओं, नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ समन्वय करता है।
- साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सीईआरटी -इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक-केंद्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साइबर स्पेस तक विस्तारित करती है। साइबर स्वच्छता केंद्र दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का पता लगाने में मदद करता है और उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है, और नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ और सर्वोत्तम अभ्यास भी प्रदान करता है।
- सीईआरटी-इन प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के दौरान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम), प्रत्येक वर्ष फरवरी के दूसरे मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, प्रत्येक वर्ष 1 से 15 फरवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा और भारत में नागरिकों के साथ-साथ तकनीकी साइबर समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करके प्रत्येक माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) मनाता है।
- सीईआरटी -इन नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन के माध्यम से साइबर सुरक्षा खतरों और रोकथाम के उपायों पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए सुरक्षा और सुरक्षा युक्तियाँ, जागरूकता पोस्टर, इन्फो-ग्राफिक्स, बुकलेट और वीडियो साझा करता है।

(घ): सरकार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं हैं जैसे कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), आईटी हार्डवेयर, ईसीएमएस आदि के लिए पीएलआई योजना 2.0। ये योजनाएं अखिल भारतीय आधार पर हैं और आवेदक बिहार सहित देश में कहीं भी इकाइयां स्थापित कर सकते हैं।

*****